

अध्याय 8

संक्रमणकालीन उपबंध

धारा 17 : विद्यमान करदाताओं का प्रव्रजन

- (1) नियत दिन से ही, विद्यमान विधियों में से किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विधिमान्य स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनंतिम आधार पर एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जिसे, जब तक कि उपधारा (2) के अधीन अंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता है, तब तक यदि इस प्रकार विहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो रद्द कर दिया जाएगा।
- (2) अंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए दिया जाएगा, जो विहित की जाएं।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया समझा जाएगा यदि उक्त रजिस्ट्रीकरण, ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में रद्द कर दिया जाता है कि वह केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था।